राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई•ए•एस•)

प्रकरण संख्या 83/2017 अपील

1. श्रीमती पुनम प्रजापति पत्नी श्री एम.एल. प्रजापति, निवासी बापु नगर, भीलवाडा, हाल – सी–24, एम.डी. कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर।

..अपीलांट

बनाम

1. रतन पुत्र मांगू, जाति भील, निवासी ग्राम मलाण, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. धनी पुत्री मांगू, जाति भील, निवासी ग्राम मलाण, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामेश्वरलाल पुत्र सेवा भील, निवासी टोब्या तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ
4. नानालाल पुत्र देवीलाल भील निवासी बाघपुरा, डोराई तहसील बेगूं
5. शंकर पुत्र किशनलाल भील निवासी भेंसाकुण्डल जिला भीलवाडा
6. सोहनलाल पुत्र रामलाल भील निवासी गटवाडा डोराई तहसील बेगूं
7. सुरेन्द सिंह पुत्र रणजीत सिंह मीणा निवासी भूतियाखेडा पोस्ट टीकड तहसील जहाजपुर
8. रामपाल पुत्र फुलचन्द टेलर, निवासी सांगानेर, भीलवाडा।
9. तहसीलदार भीलवाडा।

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.16

उपस्थित–

1. श्री लेखू मंघानी– अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
2. श्री विनोद राव, श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 01 से 04, 06 व 07 की ओर से
3. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 05 की ओर से
4. श्री अनिल शुक्ला अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 08 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19-05-2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलाण, तहसील भीलवाडा नगरीय क्षेत्र सुभाष नगर, भीलवाडा स्थित खसरा नम्बर 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 505 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 508 रकबा 3 बीघा कुल 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि के खातेदार मांगू थे। मांगू की मृत्यु हो

जाने के पश्चात् उक्त भूमि मुसमात हरि बेवा मांगू व रतन पुत्र मांगू के नाम खातेदारी में दर्ज हुई।

रतन पुत्र मांगू व मुसमात हरि बेवा मांगू ने उक्त वर्णित भूमि जो नगरीय क्षेत्र सुभाष नगर, भीलवाडा में स्थित है, पर आवासीय कॉलोनी कृष्ण नगर की स्थापना की और ले–आउट प्लान तैयार कर आवासीय भूखण्ड काटे। ले–आउट प्लान में अंकित भूखण्डों में से श्री रामपाल पुत्र फुलचन्द टेलर, निवासी भीलवाडा ने भूखण्ड संख्या 38 से 41, 43, 45 से 48, 42, 44, 37, 49 कुल 13 भूखण्ड मूल खातेदार रतन पुत्र मांगू व मुसमात हरि बेवा मांगू से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि/प्लाट के मालिक श्री रामपाल पुत्र फुलचन्द टेलर ने अपने स्वाामित्व के भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 25 x 40 फुट, भूखण्ड संख्या 41 क्षेत्रफल 25 x 40 फुट, भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 25 x 40 फुट, भूखण्ड संख्या 46 क्षेत्रफल 25 x 40 फुट कुल 4 प्लाट अपीलांट श्रीमती पुनमचन्द प्रजापति पत्नी श्री एम.एल. प्रजापति को बेचान कर दिये तथा मौके पर कब्जा सम्भला दिया। अपीलांट ने इन भूखण्डों के चारों ओर चारदिवारी का निर्माण कराकर इन चारों प्लाटों पर एक आवासीय मकान बनाकर उस पर भीलवाडा विद्युत वितरण निगम, भीलवाडा से बिजली का कनेक्शन लेकर निवास करने लगे।

मुसमात हरि बेवा मांगू की मृत्यु हो गई। मृतक बेवा हरि के खाते की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1403 तहसीलदार भीलवाडा से दिनांक 07.12.2016 को स्वीकार कराया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट का प्रकरण दिनांक 31.10.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस के सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 08 का जवाब दिनांक 16.05.2018 को बंद किया गया। ग्राम मलाण के नामान्तरकरण सं. 1403 दिनांक 07.12.2016 के अभिलेख को तलब किया गया। तहसीलदार भीलवाडा के पत्रांक 410 दिनांक 23.01.2018 से अभिलेख प्राप्त हुआ।

अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है। सर्वप्रथम दोनो पक्षकारो को इस प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.16 में वर्णित भूमि का बेचान पूर्व मे ही कर दिया गया था तथा इनमें से चार भूखण्ड अपीलान्ट ने क्रय किये है, जिस पर अपीलान्ट ने मकान बनाकर उस पर बिजली का कनेक्शन ले रखा है। नामान्तरकरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.16 स्वीकार करने से पूर्व तहसीलदार भीलवाडा ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जबकि अपीलान्ट एक प्रभावित पक्षकार है इसलिये अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता का कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 1403 बेचान से पूरे खाते में धन्नी पुत्री मांगू 1/4 भील के बजाय रामेश्वरलाल पिता सेवा भील निवासी टोब्या तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ एवं नानालाल पिता देवीलाल भील निवासी बाघपुरा, डोराई तहसील बेगूं के नाम पंजीयन दस्तावेज के आधार पर दिनांक 07.12.2016 को तहसीलदार भीलवाडा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी

अमल दरामद हो चुका है। अपीलान्टस का इस मामले मे कोई लेना देना नहीं है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्य.प्र.सं. निरस्त किया जाये।

अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्य.प्र.सं. पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनकर उस पर मनन किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। विवादित नामान्तरकरण मे अंकित भूमि का विक्रय विरासत के नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व का होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है अतः उन्हें नामान्तरकरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.16 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलाण्ट की अपील के गुणावगुण पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मेमों में अंकित कथन को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.2016 में वर्णित भूमि का बेचान पूर्व में ही हो चुका है। मृतक हरि बेवा मांगू ने अपने बेटे रतन के साथ मिलकर अपने खाते की भूमि के भूखण्ड काटकर उसका बेचान कर दिया है तथा मौके पर मकानात व सड़कें आदि बनी हुई है तथा लोग निवास कर रहे है। राजस्व कर्मचारियों ने मौके की स्थिति को दरकिनार करते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकर किया है। नियमों के तहत रिक्त कृषि भूमि के बारे में ही नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है। मौके पर जिस भूमि पर आवासीय मकान बने हुए हो तथा नगर सुधार न्यास/नगर परिषद, भीलवाडा द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया हो तथा पानी एवं बिजली की लाईनें बिछी हुई हो, ऐसी भूमि का नामान्तरकरण खोलने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। चूंकि उक्त भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है, जो सीधे रूप से नगर सुधार न्यास भीलवाडा के अधीन हो गई है, इस प्रकार जो नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, वह प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा क्षेत्राधिकार से परे है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार मांगू थे। मांगू की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण मृतक की बेवा व मृतक के पुत्र रतन के नाम ही खोला था। तत्समय मृतक की बेटी धनी पुत्री मांगू का नाम विरासत के नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया था। जब मृतक की बेवा का देहान्त हुआ तो विरासत के नामान्तरकरण में बेटे के साथ बेटी का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार जब मांगू की मृत्यु हुई, तो बेटी धनी का नाम विरासत के नामान्तरकरण में नहीं जोडा गया, परन्तु जब मांगू की पत्नी की मृत्यु हुई तो विरासत के नामान्तरकरण में मांगू की पुत्री का नाम भी जोडा गया। धनी यदि मृतक हरि बेवा मांगू की पुत्री थी, तो उसका नाम पिता मांगू की मृत्यु के पश्चात् भी विरासत के नामान्तरकरण में अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण में धनी का

नाम विरासत के नामान्तरकरण में जोडना पूर्णतया विधि विरूद्ध था। अनुसूचित जनजाति अर्थात् मीणा व भील समाज में पिता की सम्पति में बेटी का अधिकार नहीं माना गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) मे वर्णित प्रावधानो के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उनकी बेटी को मृतक की सम्पत्ति में हक नही मिलेगा इस हेतु विधिक दृष्टान्त आर.आर.डी.– 1966 के पृष्ठ संख्या 71 मे वर्णित राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर की फुल बैंच द्वारा पारित निर्णय अपील सख्या 14/59 निर्णय दिनांक 01.01.1966 प्रस्तुत किये।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत मामले में मांगी की मृत्यु हो गई है। नगर परिषद, भीलवाडा से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर ही तहसीलदार भीलवाडा ने विधिवत् रूप से नामान्तरकरण स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि का हस्तानान्तरण गैर–अनुसूचित जाति व गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नही किया जा सकता है। अतः तहसीलदार भीलवाडा ने विधि के प्रावधानो की अनुपालना करते हुये नामान्तरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.16 स्वीकार किया है जिसे कायम रखा जाये।

उभयपक्षों अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मलाण तहसील भीलवाडा के नामान्तरकरण 1403 पर तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 का अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक दृष्टान्त का परीक्षण किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम मलाण तहसील भीलवाडा नगर परिषद की शहरी क्षेत्र कृष्णा नगर मे स्थित है। अपीलान्ट के द्वारा जिस ले आउट प्लान की फोटो प्रति अपील के साथ संलग्न की है उसके अनुसार स्पष्ट होता है कि मूल खातेदार रतन पुत्र श्री मांगू व मुस्मात हरि बेवा मांगू ने खसरा न0 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, रकबा 505 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 508 रकबा 3 बीघा भूमि पर कृष्णा नगर की स्थापना की तथा इस पर भूखण्ड काटकर उसका बेचान किया है। अपीलान्ट ने भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 25X40, भुखण्ड सख्या 41 क्षेत्रफल 25X40, भूखण्ड सख्या 45 क्षेत्रफल 25X40, भूखण्ड संख्या 46 क्षेत्रफल 25X40 कुल भूखण्ड जरिये इकरारनामा क्रय किये है तथा इस पर निर्माण कर बिजली का कनेक्शन लिया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होना प्रकट होता है। पक्षकारो के बीच वादग्रस्त भूमि के बारे में विभिन्न न्यायालयो में दावे व फौजदारी इस्तगासे विचाराधीन है। वर्तमान में उपजिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा द्वारा इस भूमि पर रिसीवर भी नियुक्त किया गया है। विरासत नामान्तरकरण सं. 1397 पर पारित निर्णय दिनांक 12.11.2016 से प्राप्त भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये रेस्पोडेण्ट सं. 03 से 04 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या 05 व 06 के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जो नामान्तरकरण सं. 1403 दिनांक 07.12.2016 तहसीलदार भीलवाडा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं, जो प्रारम्भ से ही शून्य होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम मलाण के आराजी नम्बर 505 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 508 रकबा 3.00

बीघा के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क की उपधारा (8) के के अधीन कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा लोक सूचना दिनांक 16.08.2013 को जारी की गयी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात का कृषि से अकृषि उपयोग विरासत नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व ही किया गया हैं। वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार भीलवाडा ने नामान्तरकरण संख्या 1403 पर दिनांक 07.12.2016 को निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है। नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की मौके की स्थिति की जांचकर, उभयपक्षकारों की सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को नामान्तरकरण रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है। ग्राम मलाण तहसील भीलवाडा के नामान्तरकरण सं. 1397 पर पारित निर्णय दिनांक 12.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से इस न्यायालय के प्रकरण सं. 81/2017 उनवान श्रीमती पूनम प्रजापति बनाम रतन भील वगैरह अपास्त किया गया। उक्त विरासत नामान्तरकरण सं. 1397 से प्राप्त भूमि को रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये रेस्पोडेण्ट सं. 03 से 07 के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जो नामान्तरकरण सं. 1403 दिनांक 07.12.2016 तहसीलदार भीलवाडा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं, जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार भीलवाडा को नामान्तरकरण सं. 1403 दिनांक 07.12.2016 को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात की मौके की स्थिति की जांचकर, उभयपक्षकारों की सुनवाई की जाकर नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः नामान्तरकरण पर निर्णय पारित करने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा को मय तलबिदा रिकॉर्ड के साथ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19-05-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाडा